I 2196

दाखिल किया गया

उप निबन्धक
जखनियां, गाजीपुर

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Signature
ACC Name-MAHENDRA
ACC Code-UP14598104
ACC Add-Tisaura, Ghazipur
Mobile-
License No-13/2013
Tehsil Sadar & District-Ghazipur

Certificate No.	:	IN-UP32194256052852U
Certificate Issued Date	:	02-Jul-2022 10:58 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14598104/ GHAZIPUR SADAR/ UP-GZP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14598104562788017704370
Purchased by	:	OM MAA AADI SHAKTI SANSKAR SHAIKSHIK AND SAMAJIK V
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	MAUZA DEWA PAR SHADIYABAD TEH JAKHANIA DIST GHAZIPUR ARAZI NO 137 LEASE RAKBA 8096 SQ MTR
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SHARDA NAND RAI SO LATE VINDHYACHAL RAI AND OTHERS
Second Party	:	OM MAA AADI SHAKTI SANSKAR SHAIKSHIK AND SAMAJIK V
Stamp Duty Paid By	:	OM MAA AADI SHAKTI SANSKAR SHAIKSHIK AND SAMAJIK V
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	36,000 (Thirty Six Thousand only)

Please write or type below this line

0000293501

VOID VOID VOID

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

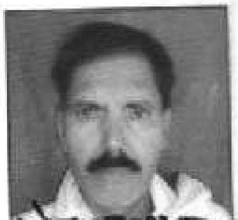

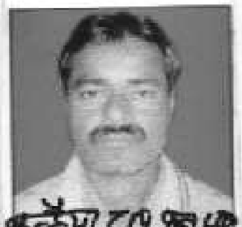

किस्म दस्तावेज लीज डीड

अवधि- 30 वर्ष

मौजा- देवा, परगना-शादियाबाद, तहसील-जखनिया, जिला-गाजीपुर

खाता सं0- 00325

गाटा सं0- 137

रकबा- 1.5350हे0 मे से 0.8090हे0 (8096 वर्ग मीटर) जिसमें हाल व कमरे निर्मित है। 30 वर्ष के लिए लीज पर दिया।

चौहद्दी-

पूरब- जमीन ओम् माँ आदि शक्ति के0वी0 पब्लिक स्कूल

पश्चिम- खेत ठाकुर जी

उत्तर- पीच मार्ग

दक्षिण- खेत मुनीश चन्द्र खरे वगैरह

ह० गोरख ह० कन्हैया ह० शारदा चन्द्र राय

ह० जंगबहादुर राय ह० विजय कुमार राय

धीरज कुमार राय पुत्र
विन्ध्याचल राय
ग्राम- ठेका, पो०- दुल्लहपुर
जि०- गाजीपुर

सच्चिदानन्द राय एड०
02/08/2022

विजय कुमार राय पुत्र
विन्ध्याचल राय
ग्रा० ठेका, पो०- दुल्लहपुर
जि०- गाजीपुर

सच्चिदानन्द राय एड०
02/08/022

अमरनाथ पाण्डेय पुत्र स्व०
आद्या पाण्डेय ग्रा०- ठेका पो०- दुल्लहपुर
जि०- गाजीपुर

सच्चिदानन्द राय एड०
02/08/022

आशीष कुमार राय पुत्र स्व० दुर्गेश राय
ग्राम- ठेका, पो०- दुल्लहपुर
जि०- गाजीपुर

सच्चिदानन्द राय एड०
02/08/022

सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

औसत वार्षिक लाभांश- 300,000/- (तीन लाख रुपये मात्र)

मालियत- निर्धारित औसत वार्षिक लाभांश के 6 गुना से रुपया 18,00,000/- (अठारह लाख रुपये मात्र) स्टाम्प एक्ट की अनुसूची-1 के अनुच्छेद 35 के अनुसार दिया गया है।

अदा ई-स्टाम्प- 36,000/- (छत्तीस हजार रुपये मात्र)

<u>प्रथम पक्ष (लीज डीड दाता)-</u> भूमि/भवन मालिक-यह लीज डीड विलेख 30 वर्षीय गोरख राय, कन्हैया राय पुत्रगण स्व0 कमला राय व शारदानन्द राय, संजय कुमार राय, विजय कुमार राय पुत्रगण स्व0 विन्ध्याचल राय निवासी ग्राम देवा, परगना शादियाबाद, तहसील जखनिया, जिला गाजीपुर (उ0प्र0) जिन्हे एतद्पश्चात भूमि/भवन मालिक कहा गया है।

बहक व बनाम

द्वितीय पक्ष (लीज डीड ग्रहिता)- ओम माँ आदि शक्ति संस्कार शैक्षिक एवम् सामाजिक विकास ट्रस्ट द्वारा प्रबन्धक शारदा नन्द राय पुत्र स्व0 विन्ध्याचल राय निवासी ग्राम देवा, परगना शादियाबाद, तहसील जखनियां, जिला गाजीपुर (उ0प्र0) जिसे एतद् लीज डीड ग्रहिता कहा गया है। द्वितीय पक्ष के बीच निर्मित व निष्पादित किया गया।

आवेदन सं०: 202200987002675

पट्टा विलेख / कबूलियतनामा

बही स०: 1	रजिस्ट्रेशन स०: 2196	वर्ष: 2022

प्रतिफल– 1800000 स्टाम्प शुल्क– 36000 बाजारी मूल्य– 0 पंजीकरण शुल्क– 18000 प्रतिलिपिकरण शुल्क– 80, योग : 18080

श्री गोरख
पुत्र श्री स्वर्गीय कमला
व्यवसाय : कृषि
निवासी : देवा पर0शा0बाद
तह0जखनिया जिला गाजीपुर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 02/06/2022 एवं 03:50:52 PM बजे निबन्धन हेतु पेश किया

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनिल कुमार तिवारी प्रभारी
उप निबंधक :जखनिया
गाजीपुर
02/07/2022

जितेन्द्र सोनकर निबन्धन
निबंधक लिपिक
02/07/2022

विदित हो कि हम प्रथम पक्षगण-भूमि/भवन मालिक जिनका नाम व पता लीज डीड विलेख के उपरोक्त में विवरण सहित अंकित किया गया है। तथा एतद्पश्चात भूमि/भवन मालिक कहा गया है, लीज डीड विलेख मे अंकित उपरोक्त विवरण वाली भूमि/भवन का मालिक का आधिपत्यभोगी है। उपरोक्त विवरण वाली भूमि पूर्व मे ही उ0प्र0ज0वि0 एव भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-143 के तहत अकृषिक घोषित है जिसमें 3760 वर्गमीटर मे भवन बना है व चहारदिवारी से घिरी तथा 4336 वर्ग मीटर भूमि शेष है। जिसे लीज पर देने का हम भूमि/भवन मालिक को पूर्ण अधिकार है। जो इस समय प्रत्येक वारदेन से पाक व साफ है। द्वितीय पक्ष- एक ट्रस्ट (न्यास) है जो शिक्षण संस्थान चलाना चाहते है। द्वितीय पक्ष ने हम प्रथम पक्ष से उपरोक्त विवरण वाली भूमि/भवन को लीज पर देने के लिए इस्तदुआ किया। द्वितीय पक्ष की इस्तदुआ को हम प्रथम पक्ष ने स्वीकार किया तथा द्वितीय पक्ष को उपरोक्त विवरण वाली भूमि/भवन को लीज पर देने के लिए तैयार हो गये। लीज की शर्तें निम्नलिखित है।

1- यह कि हम प्रथम पक्षगण उपरोक्त लीज पर दी जा रही भूमि/भवन का नियमानुसार स्वामी अधिपत्यभोगी व मालिक काबिज है तथा द्वितीय पक्ष एक ट्रस्ट (न्यास) है जो उक्त विवरण वाली भूमि/भवन मे अपने शिक्षण कार्य चलायेगें जिसे द्वितीय पक्ष लीज डीड ग्रहिता कहा गया है।

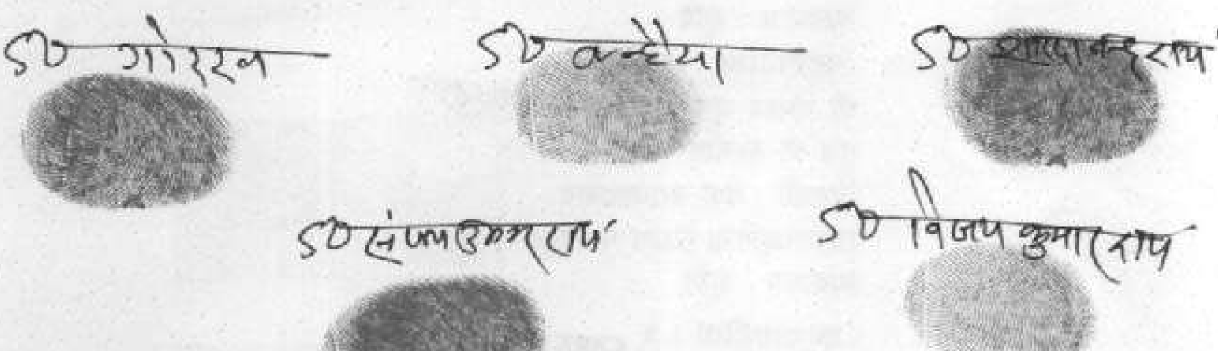

आवेदन सं०: 202200987002675

बही सं० 1 रजिस्ट्रेशन सं० 2196 वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

पट्टादाता : 1

श्री गोरख

पुत्र श्री स्वर्गीय कमला

निवासी : देवा पर0शा0बाद

तह0जखनिया जिला गाजीपुर

व्यवसाय : कृषि

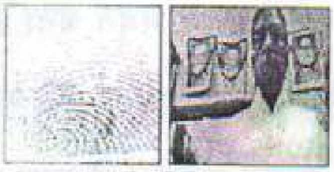

पट्टादाता : 2

श्री कन्हैया

पुत्र श्री स्वर्गीय कमला

निवासी : देवा पर0शा0बाद

तह0जखनिया जिला गाजीपुर

व्यवसाय : कृषि

पट्टादाता : 3

श्री शारदानन्द

पुत्र श्री स्वर्गीय विन्ध्याचल

निवासी : देवा पर0शा0बाद

तह0जखनिया जिला गाजीपुर

व्यवसाय : कृषि

पट्टादाता : 4

श्री संजय कुमार

पुत्र श्री स्वर्गीय विन्ध्याचल

निवासी : देवा पर0शा0बाद

तह0जखनिया जिला गाजीपुर

व्यवसाय : कृषि

पट्टादाता : 5

श्री विजय कुमार

पुत्र श्री स्वर्गीय विन्ध्याचल

निवासी : देवा पर0शा0बाद

तह0जखनिया जिला गाजीपुर

व्यवसाय : कृषि

पट्टाग्रहीता : 1

ओम माँ आदि शक्ति संरक्0

शैक्षिक एवं सा0वि0ट्रस्ट द्वारा

प्र0 श्री शारदानन्द

पुत्र श्री स्वर्गीय विन्ध्याचल

निवासी : देवा पर0शा0बाद

2- यह कि लीज डीड मे विलेख मे अंकित उपरोक्त विवरण वाली भूमि/भवन का वार्षिक लाभांश 7,50,000/- (सात लाख पचास हजार रुपये मात्र) होता है।

3- यह कि द्वितीय पक्ष लीज वाली भूमि/भवन पर शिक्षण संस्थान चलावेगा तथा अपने संस्थान के प्रचार प्रसार हेतु उसमें अपना बोर्ड इत्यादि लगावेगा तथा स्कूल सम्बन्धि क्लास रुम व ऑफिस बनायेगा। द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह अपने संस्थान के हित में जो भी आवश्यक कार्य हो उसे करें।

4- यह कि द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह इस लीज डीड दस्तावेज को शिक्षा विभाग में आवश्यकता पड़ने पर उच्चाधिकारी को प्रस्तुत करे तथा विद्यालय सम्बन्धित मान्यता प्राप्त करें एवं जहॉ-जहॉ भी इसकी आवश्यकता पड़े दस्तावेज लीज डीड को पेश करें।

5- यह कि द्वितीय पक्ष आवश्यकतानुसार इसमे निर्माण कार्य भी करा सकता है।

6- यह कि लीज डीड विलेख मे अकित उपरोक्त विवरण वाली भूमि/भवन के बावत मालिकाना अधिकार मात्र प्रथम पक्ष के पास ही सुरक्षित रहेगा। द्वितीय पक्ष को इसको अन्तरण करने का कोई हक हासिल नही होगा।

7- यह कि भारत के किसी न्यायालय मे उपरोक्त भूमि/भवन के सन्दर्भ में कोई विधिक कार्यवाही लम्बित नही है जो कि उक्त भूमि/भवन को लेने व देने में बाधक हो।

SD [illegible] SD कन्हैया SD शारदा नन्द राय

SD संजय कुमार राय SD विजय कुमार राय

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री अमरचन्द पाण्डेय, पुत्र श्री स्वर्गीय आरत पाण्डेय

निवासी: देवा पर0शा0बाद तह0जखनिया जिला गाजीपुर

व्यवसाय: कृषि

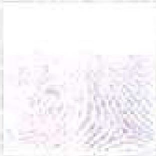

पहचानकर्ता : 2 अमरचन्द पाण्डेय

श्री आशीष कुमार राय, पुत्र श्री स्वर्गीय दुखन्ती राय

निवासी: देवा पर0शा0बाद तह0जखनिया जिला गाजीपुर

व्यवसाय: कृषि

आशीष कुमार राय

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनिलकुमार तिवारी प्रभारी
उप निबंधक : जखनिया
गाजीपुर
02/07/2022

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :कालम सं० ८ लागू नहीं है

जितेन्द्र सोनकर निबन्धन
निबंधक लिपिक गाजीपुर
02/07/2022

प्रिंट करें

8- यह कि यह लीज दिनांक-02/07/2022 से 30 वर्षो हेतु अपरिवर्तनीय है। 30 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त लीज स्वतः समाप्त हो जायेगी अथवा दोनों पक्ष आपसी सहमति के आधार पर लीज को आगे की अवधि के लिए पुनः स्थापित कर सकते है।

9- यह कि उक्त भूमि/भवन पर लीज की तिथि पूर्व एवं लीज के दिनांक तक किसी सरकारी/गैर सरकारी अथवा व्यक्तिगत वित्तीय देनदारिया शेष नही है। यह भूमि सभी प्रकार के भार एवं बाधा से मुक्त एवं पाक व साफ है।

10- यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भूमि पर शैक्षणिक संस्थान के संचालन के क्रम में भवन निर्माण एवं सभी विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा।

11- यह कि लीज डीड ग्रहिता द्वितीय पक्ष लीज की तिथि से एवं उसके बाद लीज की अवधि में उक्त सम्पत्ति से सम्बन्धित सभी विधिक टैक्स/शुल्क जमा करने हेतु उत्तरादायी एवं बाध्य होगा।

12- यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूमि/भवन पर आवश्यकता पड़ने पर निर्माण करा सकता है। शैक्षणिक संस्थान (D Pharm) से सम्बन्धित संस्थाओं से मान्यता/अनुमोदन/सम्बद्धता प्राप्त कर संचालन कर सकता है।

अतः हम प्रथम पक्षगण भूमि/भवन मालिक खूब सोच समझकर बखुशी व रजामन्दी स्वस्थ्य चित्त एवं स्वस्थ्य शारीरिक एवं मानसिक हालत में यह

लीज डीड विलेख बहक व बनाम को लिख दिया की समय पर काम आवें व सनद रहे। दस्तावेज पर चस्पा फोटो का मिलान उपस्थित प्रथम पक्ष से कर लिया गया है। जो सच्च एवं सही है।

Vijay Kumar

तहरीर दिनांक-02/07/2022 (विजय कुमार)

टंकणकर्ता

दीवानी कचहरी गाजीपुर

मसविदाकर्ता- रामाश्रय भारद्वाज एड०
02/07/2022

गवाह-

1- अमरचन्द पाण्डेय पुत्र स्व० आद्द पाण्डेय
ग्रा० देवा पो०- दुल्लहपुर परगना शादियाबाद
जि० गाजीपुर 7376119166

2- आशीष कुमार राय पुत्र स्व० दुखन्ती राय
ग्रा० देवा पो०- दुल्लहपुर परगना शादियाबाद
जि० गाजीपुर 9904967139

ह० गोरख ह० कन्हैया ह० शारदानन्द राय

ह० संजय राम ह० विजय कुमार राय

आवेदन सं०: 202200987002675

बही संख्या 1 जिल्द संख्या
2718 के पृष्ठ 359 से 380 तक
क्रमांक 2196 पर दिनाँक
02/07/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया
गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनिल कुमार तिवारी प्रभारी
उप निबंधक : जखनिया
गाजीपुर
02/07/2022